न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

राष्ट्रीय लोक अदालत 2017 , केम्प न्यायालय सुमेरपुर

पीठासीन अधिकारीः– श्री महीपाल भारद्वाज, R.A.S.

राजस्व विविध सं. 07 / 2017
दायरा तिथि 25.01.2017
आदेश तिथि 11.02.2017

प्रार्थीः–	बनामः	अप्रार्थीः–
उमेदाराम पुत्र नेमाजी जाति घांची, निवासी सुमेरपुर तह. सुमेरपुर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) , सुमेरपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(A) RTAct,1955

उपस्थितः–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश कुमार सुथार व शंकरलाल सुथार उपस्थित।
2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सरकारी पेरोकार तहसीलदार (भूमिधारी), उपस्थित।

–: आदेश :–

आदेश तिथि 11.02.2017

(1) कि उपरोक्त अनवान की पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प सुमेरपुर दिनांक 11.02.2017 कोर्ट सुमेरपुर में बरोज आज पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। हमने, लोक अदालत की भावना से पक्षकारों की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड इत्यादि का अवलोकन एवं परीक्षण किया। फलस्वरूप कथित प्रकरण में वर्णित प्रार्थना पत्र विषयक स्थिति अनुसार प्रार्थी ने अप्रार्थी के विरूद्ध इस पत्रावली के जरिए निवेदन किया है कि सरहद मौजा खांगडी पटवार सर्कल खिमाडा तहसील सुमेरपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नं 294, 295, 296, 297, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, रकवा क्रमशः 5.00 है., 3.04 है., 1.06 है. , 0.62 है., 0.14 है. , 4.68 है., 0.43 है., 3.12 है., 2.04 है, 0.10 है., 0.37 है. , 0.80 है. कुल रकबा 21.40 हेक्टर भूमि राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी व अन्य संयुक्त खातेदारों के नाम दर्ज है। प्रार्थी व अन्य खातेदारों के स्वामित्व व कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि है, जिसमें कृषि कार्य व देखभाल करने हेतु सरकारी पडत भूमि खसरा नं 307 रकबा 6.76 है. किस्म बारानी अव्वल, 307 / 336 रकवा 3.84 है. किस्म बारानी अव्वल में सें 10 फीट चौडाई व 1000 फीट लम्बाई में प्रस्तावित रास्ता भूमि जो नजरी नक्शा में बरंग–लाल से दर्शित है व मौके पर कदीमी से उपयोग व उपभोग में आ रहा है, को कतिपय प्रावधानों के तहत सुखाधिकार हेतु गै.मु.रास्ता घोषित करावे।

(2) कि तहसीलदार सुमेरपुर ने अपनी जांच रिपोर्ट में जाहिर किया है कि ग्राम खांगडी पटवार सर्कल खिमाडा में स्थित भूमि खसरा नं 294, 295, 296, 297, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, रकबा क्रमशः 5.00 है., 3.04 है., 1.06 है. , 0.62 है., 0.14 है. , 4.68 है., 0.43 है., 3.12 है., 2.04 है, 0.10 है., 0.37 है. , 0.80 है. कुल रकवा 21.40 हेक्टर भूमि राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी उम्मेदराम व अन्य खातेदारों के नाम संयुक्त खातेदारी दर्ज है, प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि में कृषि कार्य व देखभाल करने हेतु आने–जाने के लिए प्रस्तााвित रास्ता भूमि के अलावा अन्य कोई मौके पर रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते को संलग्न नक्शा–ट्रेस में बरंग–हरा से दर्शाया है । उपरोक्त प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी से लगाय राजकीय गै.मु. रास्ता ग्राम खांगडी के ख. नं. 284 तक मौके पर स्थित है जो रास्ते के उपयोग में आ रहा है। यह राजकीय सिवायचक भूमि है। उक्त भूमि से लगता ग्राम खांगडी के ख. नं. 307 में रास्ता 310 मीटर लम्बाई व

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली (राज)

लगातार–2

Scanned by CamScanner

3 मीटर चौडाई अर्थात 930 वर्गमीटर व खसरा नं. 307/336 में रास्ते की लम्बाई 154 मीटर व चौडाई में 03 मीटर अर्थात 462 वर्गमीटर अर्थात कुल 930+462=1392 वर्गमीटर अर्थात 0.1392 हेक्टर रास्ता भूमि का क्षेत्रफल बनता है। इसके अलावा तहसीलदार सुमेरपुर ने कथित रिपोर्ट में यह भी व्यक्त किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई प्रस्तावित रास्ता भूमि जिसकी किस्म बारानी अव्वल है जो प्रतिबंधित नहीं होने से उपयुक्त है इसके अलावा प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि पर आने-जाने का अन्य कोई विकल्प नहीं होने से प्रस्तावित रास्ता घोषित करने की तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर ने सहमति व्यक्त की है।

(3) कि फलस्वरूप उल्लेखित विश्लेषण, विवेचन तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य-दस्तावेज क्रमशः जमाबंदी संवत् 2070-2073 नक्शा-ट्रेस, नजरी नक्शा इत्यादि तथा तहसीलदार सुमेरपुर की तथाकथित जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी के कथित प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुष्ठि होती है , जिसके फलतः हमारे विधिक मतानुसार प्रार्थी का कथित प्रार्थना पत्र स्वीकार करके प्रार्थी को उल्लेखित अपनी खातेदारी भूमि पर कृषि कार्य व देखभाल करने हेतु आने-जाने व सुखाधिकार के लिए कतिपय प्रावधानों के तहत प्रस्तावित रास्ता भूमि को सार्वजनिक रूप से गै.मु.रास्ता भूमि घोषित करना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विश्लेषण व विवेचन तथ्यों के परिणामतः एवं राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से प्रार्थी का कथित प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी के स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा खांगडी पटवार सर्कल खिमाडा तहसील सुमेरपुर में स्थित कृषि भूमि 294, 295, 296, 297, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, रकबा क्रमशः 5.00 है., 3.04 है., 1. 06 है. , 0.62 है., 0.14 है. , 4.68 है., 0.43 है., 3.12 है., 2.04 है, 0.10 है., 0.37 है. , 0.80 है. कुल रकबा 21.40 हेक्टर भूमि में कृषि कार्य, देखभाल व आने-जाने के लिए कतिपय प्रावधानों के तहत सुखाधिकार हेतु ग्राम खांगडी में स्थित ख. नं. 307 में रास्ता 310 मीटर लम्बाई व 3 मीटर चौडाई अर्थात 930 वर्गमीटर व खसरा नं. 307/336 में रास्ते की लम्बाई 154 मीटर व चौडाई में 03 मीटर अर्थात कुल 462 वर्गमीटर अर्थात कुल 930+462=1392 वर्गमीटर अर्थात 0.1392 हेक्टर जो नजरी नक्शा में बरंग-हरा से दर्शित है व नक्शा-ट्रेस में बरंग-हरा से दर्शित प्रस्तावित रास्ता भूमि को इस सशर्त पर सार्वजनिक उपयोग हेतु गै.मु. रास्ता घोषित किया जाता है कि उपरोक्त घोषित रास्ता भूमि के क्षेत्रफल अनुसार वर्तमान प्रचलित बाजार दर (DLC) से भूमि की कीमत तहसील राजस्व लेखाकार , तहसील सुमेरपुर द्वारा मूल्यांकन करवा कर राशि की दो-गुणा राशि प्रार्थी नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। तत्पश्चात् तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर व पटवारी खिमाडा माफिक आदेश के राजस्व रेकर्ड में घोषित रास्ता भूमि को सार्वजनिक उपयोग हेतु बतौर गै.मु.रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर अमल दरामद व तरमीम कर पालना सुनिश्चित करे। नजरी नक्शा इस आदेश का अभिन्न भाग माना जायेगा।

आदेश आज दिनांक 11.02.2017 को राष्ट्रीय लोक अदालत 2017 केम्प, सुमेरपुर में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली (राज)
सुमेरपुर(पाली)